न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
09 / 2021	29.01.2021	21.11.2022

/ /उनवान/ /

1 फूलसिंह पुत्र छाजूराम जाति अहीर निवासी टेहडकी तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट।

उपस्थितिः– श्री महेश यादव – वकील प्रार्थी

निर्णय

दिनांक– 21.11.2022

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि हाल आ0ख0नं0 565, 566, 5, 29, 377, 438, 450, 461, 519, 520, 542, 543, 567, 27, 538, 392 वाके ग्राम टेहडकी तहसील मुण्डावर में स्थित है जिनमें से खसरा नम्बर 565, 566, 5, 29, 377, 438, 450, 461, 519, 520, 542 एवं 543 वाके ग्राम टेहडकी में प्रार्थी का नाम फूलसिंह के स्थान पर हरफूल एवं ख0नं0 392 वाके ग्राम टेहडकी में प्रार्थी फूलसिंह के स्थान पर मूलचन्द तथा ख0नं0 567 व 27 वाके ग्राम टेहडकी में प्रार्थी के पिता छाजूराम का नाम छाजिया दर्ज कर दिया जिनके दर्ज होने से मिन प्रार्थी अपने समस्त अधिकारों से वंचित हो रहा है तथा अपनी उक्त आराजी पर कृषि लोन वगैरह नहीं उठा पा रहा है ना ही रहन बैय रिलीज आदि कर पा रहा है। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के पहचान के [illegible] फूलसिंह व छाजूराम दर्ज है अंकित करते हुये खसरा नम्बर 565, 566, 5, 29, 377, 43[illegible] 519, 520, 542 एवं 543 वाके ग्राम टेहडकी में प्रार्थी का अंकित नाम हरफूल के स्थान [illegible] एवं ख0नं0 392 में अंकित नाम मूलचन्द के स्थान पर [illegible] 27 में प्रार्थी के पिता का अंकित नाम छाजिया के स्थान पर छाजूराम दर्ज किये जाने [illegible] निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत आकर प्रकरण नाम दुरूस्ती का है जवाब सरकार की आवश्यकता नहीं है अंकित करते हुये आदेशिका पर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में विवादित आराजीयात के बाबत नकल जमाबंदीयात एवं पहचान के दस्तावेजात स्वरूप अपने मतदाता पहचान पत्र की आधार कार्ड एवं परिवार राशन कार्ड तथा व्यक्तिक विवरण सूची की छाया प्रतियां पेश की जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की प्रार्थनापत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि खसरा नम्बर 565, 566, 5, 29, 377, 438, 450, 461, 519, 520, 542 एवं 543 वाके ग्राम टेहडकी में प्रार्थी का नाम फूलसिंह के स्थान पर हरफूल एवं ख0नं0 392 वाके ग्राम टेहडकी में प्रार्थी फूलसिंह के स्थान पर मूलचन्द तथा ख0नं0 567 व 27 वाके ग्राम टेहडकी में प्रार्थी के पिता छाजूराम का नाम छाजिया दर्ज कर दिया जिनके दर्ज होने से प्रार्थी अपने समस्त अधिकारों से वंचित हो रहा है तथा अपनी उक्त आराजी पर कृषि लोन वगैरा नहीं उठा पा रहा है ना ही रहन बैय रिलीज आदि कर पा रहा है तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में विवादित आराजीयात के बाबत नकल जमाबंदीयात एवं पहचान के दस्तावेजात स्वरूप अपने मतदाता पहचान पत्र की, आधार कार्ड, एवं परिवार राशन कार्ड तथा व्यक्तिक विवरण सूची की छाया प्रतियां पेश की जो शामिल पत्रावली है जिनके आधार पर प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र को पूर्णरूपेण साबित कर दिया है निवेदन करते हुये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दूरूस्ती फरमाये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के हाल आ0ख0नं0 565, 566, 5, 29, 377, 438, 450, 461, 519, 520, 542, 543, 567, 27, 538, 392 वाके ग्राम टेहडकी तहसील मुण्डावर के बाबत के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है एवं खसरा नम्बर 565, 566, 5, 29, 377, 438, 450, 461, 519, 520, 542 एवं 543 वाके ग्राम टेहडकी के बाबत प्रार्थी का अंकित नाम हरफूल को हजफ कर हरफूल के स्थान पर फूलसिंह एवं ख0नं0 [illegible] प्रार्थी का अंकित नाम मूलचन्द को हजफ कर मूलचन्द के स्थान पर [illegible] 27 के बाबत [illegible] के पिता का अंकित नाम छाजिया को [illegible] स्थान पर छाजूराम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल [illegible] रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। इस हेतु निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:36 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक **21.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:36 IST
Reason: SelfAttested